

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)



कार्यालय दूरभाष नं.— 07662—241655

ई-मेल- deanmcrewa@rediffmail.com वेबसाइट-www.ssmcrewa.com

फैक्स नं.— 07662—251167

रीवा, दिनांक। १३। १२ १००२२

/ / विज्ञप्ति / /

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में वॉक-इन इंटरव्यु के माध्यम से सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

दिनांक 19.12..2022 की स्थिति में

साक्षात्कार का दिन एवं समय आवेदन करने की अंतिम तिथि

:- दिनांक 23.12.2022, दोपहर 12:00 बजे

:- दिनांक 21.12.2022, सायं 05:00 बजे तक

1. सीनियर रेसीडेंट, मासिक शिष्यावृत्ति रु. 80,811/- प्रतिमाह

स.क्र.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा	ई.डब्ल्यू. एस
1.	निश्चेतना	03	01	01	_	_	01
2.	रेडियोडायग्नोसिस	01	_	01	_	_	_
3.	रेडियोथेरेपी	01	01	_		_	_
4.	सर्जरी	02	01	_	_	_	01
5.	मेडिकल ऑन्कोलॉजी	01	01	_	_	_	_
6.	पी.एम.आर.	02	01	01	_	_	_
7.	इमरजेंसी मेडिसिन	03	01	01	01	_	_
8.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	01	01	_	_	- 8	_
9.	नेत्र रोग	01	01	-	_	_	_
10.	मानसिक रोग	01	01	0 -2 ,	_	_	_
11.	जनरल मेडिसिन	01	_	01	_	_	_
	योग	17	09	05	01	_	02

2. जूनियर रेसीडेन्ट, मासिक शिष्यावृत्ति रू. 56,355 / - प्रतिमाह

क्र.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा	ई.डब्ल्यू. एस
1.	मानसिक रोग	01	_	_	-	01	_
2.	रेस्पेरेट्री मेडिसिन	01	01	-	_	-	_
3.	अस्थि रोग	02	01		01	-	_
4.	दंत रोग	01	01	_	_	_	_
 रीप:—	योग	05	03		01	01	_

पदों एवं विषयों की संख्या अधिक / कम की जा सकती है, जिसकी जानकारी समय-समय पर चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेब साइट www.ssmcrewa.com पर उपलब्ध्य की जावेगी।

> मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम प्राह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

Scanned by Scanner Go

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया :— आवेदन पत्र दिनांक 21.12.2022, बुधवार सायं 05:00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा होंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जायेगी।

आवेदन शुल्क :— सीनियर रेसीडेन्ट / जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अनारक्षित संवर्ग के अम्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रू 700 /— (सात सौ रूपए) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये—500 /— (पाँच सौ रूपए) राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट "मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा" के नाम देय हो, प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी।

साक्षात्कार अपरान्ह — 12:00 बजे अधिष्ठाता कार्यालय के सभाकक्ष में निर्धारित रहेगा। अवकाश की स्थिति में साक्षात्कार अगले दिन आयोजित किया जावेगा।

नियम एवं निर्देश:— म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 2—42/07/1/पचपन, भोपाल, दिनांक 17.12.2021 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार होगी:—

1/ जुनियर रेसीडेन्टस

पात्रता :-

जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व एम.बी.बी.एस. /बी.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

अपात्रता :--

- (i) एम.बी.बी.एस. /बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता / प्राचार्य, चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- (ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- (iii)पाठ्यक्रम अवधि में छात्र / छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
- (iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
- (v) बिन्दु (i) से (v) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र / छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।

चयन विधि:--

- (i) अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
- (ii) योग्य अभ्यार्थियों का चयन उनके द्वारा एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में लगे Attempts सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के सकल प्रतिशत एवं साक्षात्कार के आधार पर नियत होगा।
- (iii) चयन हेतु प्रथमतः स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जावेगा। तत्पश्चात निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
- (iv) चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी। चयनित चिकित्सक द्वारा मध्य में सेवायें छोड़ने पर शेष अवधि के लिये प्रतीक्षारत चिकित्सक का चयन किया जायेगा। यह प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष तक के लिये वैध होगी।
- (v) चयनित जूनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

टेन्युअर (Tenure) :-

- (i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- (ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
- (iii) विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सक का कार्य संतोषजनक रिपोर्ट नहीं देने अथवा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने पर उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

आरक्षण :--

- (i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- (ii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :--

जूनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकिस्मक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

2/ सीनियर रेसीडेन्टस

पात्रता :-

- (i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पाचं (05) वर्ष के अन्दर एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी. / डिप्लोमा / एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- (ii) चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- (iii) एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

अपात्रता :--

- (i) एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- (ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- (iii) पाठ्यक्रम अवधि में छात्र / छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
- (iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
- (v) बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपरिधत रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र / छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।

चयन विधि :--

- (i) अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
- (ii) चयन हेतु प्रथमतः स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जावेगा। तत्पश्चात निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
- (iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी. / डिप्लोमा / एम.डी.एस. किया है, उसी विषय के लिये पात्रता होगी।
- (iv) चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।
- (v) विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा।
- (vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

टेन्युअर (Tenure) :-

- (i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- (ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
- (iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के सम्बन्ध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

(iv) विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :--

- (i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- (ii) निर्धारित आरक्षित / अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।
- (iii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :--

सीनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

3/ प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों का सीनियर रेसीडेन्ट में चयन :--

- (i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी. / डिप्लोमा / एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- (ii) एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।
- (iii) जिस प्रदर्शक / ट्यूटर / चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी. / एम.एस. / एम. डी.एस. किया है, उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेंसी की पात्रता रहेगी।

चयन विधि :--

- (i) ऐसे प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी. / एम.एस. / एम.डी. एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- (ii) साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी. / एम.एस. / एम.डी. एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

सीट का आरक्षण :--

- (i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- (ii) निर्धारित आरक्षित / अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।

वेतन भत्ते :--

प्रदर्शक / ट्यूटर / चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

अवकाश :--

इनको सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये 12 दिवस के आकिस्मक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये मूल पद से जुड़े किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

<u>टी</u>प :--

जिन प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक / ट्यूटर / चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरुद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरुद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

यात्रा भत्ता :-

साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा।

> (डॉ. देवेश सारस्वत) मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.) १२२ म्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र...../स्था./राज./एमसी/2022 क्रिज्रिक र्र प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।

2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा।

- 3. अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/सागर/विदिशा/ शिवपुरी/शहडोल/दितया/रतलाम/खण्डवा/छिंदवाड़ा की ओर भेजकर अनुरोध है कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस को चस्पा कराने हेतु कष्ट करें।
- 4. संबंधित विभागाध्यक्ष।

5. कार्यालय / पी.जी. / यू.जी. एवं कन्या छात्रावास नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)



विज्ञप्ति क्रमांक

आवेदित पद का नाम

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)



Paste self-attested

कार्यालय दूरभाष नं.- 07662-241655 फैक्स नं.- 07662-251167

ई-मेल- deanmcrewa@rediffmail.com वेबसाइट-www.ssmcrewa.com

सीनियर रेसीडेंट / जूनियर रेसीडेंट पद हेतु आवेदन का प्रारूप

:..... दिनांक :....

आवीर	देत पद का नाम :	passport size
आवेदि	देत विभाग का नाम :	photo
आवेदि	देत पद की श्रेणी : UR / OBC / ST	/ SC / EWS
नोटः–	- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण भरी जावे ।	
1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता / पति का नाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.	पुरुष / महिला	
4.	आवेदक की श्रेणी — अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूची जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग / ई.डब्ल्यू.एस.	
5.	वर्तमान पद, कार्यस्थल एवं संस्थान	
6.	वर्तमान संस्था जहाँ पर कार्यरत है, प्रायवेट अथवा शासकीय	
7.	वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित)	
8.	स्थाई पता (पिन कोड सहित)	
9.	मोबाइल नं.	
10.	ईमेल आई.डी.	
11.	आधार न.	
12.	जन्मतिथि (हाई स्कूल की अंकसूची सलंग्न करे)	
13.	दिनांक 01/01/2023 को आवेदक की आयु	
14.	आवेदक की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / अविवाहित)	
15.	विवाह का दिनांक	
16.	विवाह के समय आपकी उम्र	
17.	आपके जीवित संतानों की संख्या	
18.	यदि बच्चो की संख्या ≥ 3 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक	

19. शैक्षणिक योग्यता— स्नातक (Undergraduate) :— (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / University	Year of Passing	Marks obtained/ Max. Marks	Percentage	Attempt
		v -				

Average	%	of	Un	der-	Gr	adu	ıati	on
---------	---	----	----	------	----	-----	------	----

No. of Additional Attempts (If any)

(नोट:- प्रत्येक परीक्षा के प्रयास प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।)

20. शैक्षणिक योग्यता— स्नात्कोत्तर (Postgraduate) :— (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / University	Year of Passing	Subject	Marks obtained / Max. Marks	Percentage	Attempt
1				1.			

21. शैक्षणिक योग्यताएं— (Super Speciality / others) :— (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / Universi ty	Year of Passing	Subject	Marks obtained / Max. Marks	Percentage	Attempt
1				e			

22. मेडिकल कौंसिल का पंजीयन क्रमांक, नाम एवं दिनांक:-

शैक्षणिक योग्यताए	पंजीयन क्रमांक	कौंसिल का नाम	दिनांक

23. रिसर्च पब्लिकेशन:-

S. No.	Publication Title & Journal Name	Type of Article	Published during tenure of Professor / Assoc. Prof. / Asstt. Prof. / J.R. / S.R. / Tutor (Post PG)	Author- ship & Month and Year of Publicati on	Indexed in (As per MCI Norms*	Approval as per MCI / NMC Norms (Comment of Scrutiny Committee)	Approval as per MCI / NMC Norms* (Comment of Subject Expert)
1	2	3	4	5	6	7	8
1						, r	
2							:
3						· : :	

Note:- You can attach additional sheet in case of more publications

24. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

S. No.	Certificates / Documents	Yes / No
1.	High School Mark Sheet (Date of Birth)	
2.	Undergraduate Marksheets	
3.	Internship Completion Certificate	
4.	Attempt Certificate of Undergraduate issued by Dean / Competent Authority	
5.	Undergraduate Degree	
6.	Undergraduate Registration (State / National Council)	
7.	Postgraduate Notification / Marksheet / Passing Certificate	
8.	Attempt Certificate of Postgraduate issued by Dean / Competent Authority	
9.	Postgraduate Degree	
10.	Postgraduate Registration (State / National Council)	
11.	Super Speciality / Other Notification / Marksheet / Passing Certificate	
12.	Super Speciality / Other Attempt Certificate issued by Dean / Competent Authority	
13.	Super Speciality / Other Degree	
14.	Super Speciality / Other Registration (State / National Council)	
15.	Certificate of Participation – Basic Course Workshop in MET	
16.	Basic Course in Biomedical Research completion certificate	
17.	Teaching (Academic) Experience Certificate issued by Dean / competent authority	
18.	Copy of Publications (as per MCI / NMC guideline)	
19.	Domicile Certificate issued by Competent Authority	
20.	Caste Certificate issued by Competent Authority	
21.	Aadhar Card	
22.	Others if any -	
23.	Others if any -	
24.	Others if any -	

स्थान -

दिनांक -

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा – पत्र //

- 1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है आवशयक दस्तावेजों की कमी / जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- 2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर